

चौथी अनुसूची
[धारा 121(1) और धारा 149(1) देखिए]

मद संख्या (1)	माल का वर्णन (2)	शुल्क की दर (3)
1.	चाय और चाय अपशिष्ट	एक रुपया प्रति किलोग्राम

5